कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–2/ नियुक्ति– इतिहास/ पीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी (ओम प्रकाश) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6700/2023 ओम प्रकाश बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6700/2023 ओम प्रकाश बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2023 में याचिका को एस.बी.सी या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. यां.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit , then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits. "

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थी ओम प्रकाश प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	OM PRAKSH	HISTORY	02/10/988	1104	20/07/2018	25/07/2018 AFTER NOON

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक इतिहास विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक सविता देवी मेरिट क्रमांक 1959 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06.2017 कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी ओम प्रकाश के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 6700/2020 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 17.05.2023 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सविता देवी (मेरिट क्रमांक 1959) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थीयों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सविता देवी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धा[illegible] लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी ओम प्रकाश [illegible] वरिष्ठता के समस्त [illegible] प्राप्त करने के

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Directo[illegible]
Date: 2023.09.10 1[illegible]:06:57 IST
Reason: Approve[illegible]

RajKaj Ref No. : 4660819

अधिकारी होगें, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इतिहास/नोशनल/ ओम प्रकाश/या.स.–6700/2023 दिनांक– 10/9/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.10 1[illegible]:06:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4660819

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–2/ नियुक्ति– इतिहास/ पीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24. 12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी (बसन्त कुमारी पाण्डे) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 8666/2021 बसन्त कुमारी पाण्डे बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8666/2021 बसन्त कुमारी पाण्डे बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 में याचिका को एस.बी.सी या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निरस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. यां.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit , then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits. "

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी बसन्त कुमारी पाण्डे प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	BASANT KUMARI PANDEY	HISTORY	11/12/1972	1886	05/11/2018	12/11/2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक इतिहास विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक सविता देवी मेरिट क्रमांक 1959 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06. 2017 कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी बसन्त कुमारी पाण्डे व अन्य के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 8666/2021 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 09.07.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सविता देवी (मेरिट क्रमांक 1959) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थीयों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सविता देवी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक सविता देवी के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी बसन्त कुमारी पाण्डे भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.10 1[illegible]:16:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4659419

करने के अधिकारी होगें, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इतिहास/नोशनल/बसन्त कुमारी पाण्डे /या.स.–8666/2021 दिनांक– 10/9/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.10 1[illegible]:16:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4659419

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–2/ नियुक्ति– इतिहास/ पीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके कम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (गोविन्द सिंह सोंलकी व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 7341/2019 गोविन्द सिंह सोंलकी व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7341/2019 गोविन्द सिंह सोंलकी व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 में याचिका को एस.बी.सी या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. यां.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit , then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थीगण गोविन्द सिंह सोंलकी व अन्य में निम्नांकित अभ्यर्थी भंवरलाल प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	BHANWAR LAL	HISTORY	03/03/1986	1152	20/07/2018	26/07/2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक इतिहास विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक सविता देवी मेरिट क्रमांक 1959 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06.2017 कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी गोविन्द सिंह सोंलकी व अन्य के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 7341/2019 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सविता देवी (मेरिट क्रमांक 1959) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थीयों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सविता देवी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये [illegible] एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लिखित याचिकार्थियों के [illegible] परिवीक्षाकाल

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Directo[illegible]
Date: 2023.09.10 1[illegible]:16:08 IST
Reason: Approve[illegible]

RajKaj Ref No. : 4660523

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सविता देवी के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी भंवरलाल भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इतिहास/नोशनल/ गोविन्द सिंह सोंलकी व अन्य/या.स.–7341/2019 दिनांक– 10/9/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.10 1[illegible]:16:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4660523

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांक :–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–2/ नियुक्ति– इतिहास/ पीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके कम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों सत्यनारायण राठी व अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 8007/2020 सत्यनारायण राठी व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8007/2020 सत्यनारायण राठी व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 में याचिका को एस.बी.सी या.स.7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. यां.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit , then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits. "

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थीगण सत्यनारायण राठी व अन्य प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं0	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	Satyanarayan rathi	04/07/1988	92	23/06/2017	01/07/2017
2	Ram niwas	22/02/1992	857	25/06/2017	30/06/2017 मध्यान्ह पश्चात
3	Ashok kumar	05/07/1984	02	23/06/2017	01/07/2017

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.10 1[illegible]:27:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4646538

उपर्युक्त याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 8007/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 03.09.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(17) शिक्षा–2/2022–00737 दिनांक 29.08.2023 की पालना में वरिष्ठ कार्मिक के नियुक्ति आदेश कनिष्ठ कार्मिक के साथ ही जारी किए गये है किन्तु वरिष्ठ कार्मिक द्वारा स्वैच्छा से पद पर कार्यग्रहण विलम्ब से किया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का कनिष्ठ कार्मिक के कार्यग्रहण की दिनांक से काल्पनिक आधार पर वेतन तथा वेतनवृद्धि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

याचिकार्थियों सत्यनारायण व अन्य द्वारा पृथक–पृथक प्रस्तुत अभ्यावेदन में व्याख्याता इतिहास के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.06.2017 के क्रम में 30.06.2017 तक कार्यग्रहण करने वाले स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है। राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 29.08.2023 के निर्देशानुसार ये नोशनल परिलाभ के हकदार नहीं होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इतिहास/नोशनल/सत्यनारायण राठी व अन्य/या.स.–8007/2020
दिनांक– 10/9/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.10 14:27:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4646538